संख्या–भा0स0 24/14–2–2017–800 (165)/2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 02 **फरवरी 2017**

विषयः– विश्व बैंक पोषित बदायूं–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (एस0एच0 51) के चौड़ीकरण हेतु **(1) सम्भल** में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षितवन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा **(2) अमरोहा** में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनो जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/06/10/2016/472, दिनांक 10–01–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में दिनांक 05–01–2017 को सम्पन्न हुई क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की गयी है।

2– विषयगत प्रकरण के सम्बंध में भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
B Singh
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।